न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/174 जिला–नागौर

1. केवलचन्द पुत्र भागीरथ
2. जेठाराम पुत्र भागीरथ
3. नन्दकिशोर पुत्र भागीरथ
4. बाबूलाल पुत्र भागीरथ
5. हनुमान प्रसाद पुत्र भागीरथ

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवास माधाणियों की ढाणी, तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

2. जगदीशचन्द पुत्र श्री किशन
3. माणकचन्द पुत्र श्री किशन
4. रामेश्वरलाल पुत्र श्री किशन

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी माधाणियों की ढाणी, तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––तरतीबी प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर दिनांक 30.06.2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 207/2021
बउनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत पीपलिया

————

उपस्थित– 1. श्री घनश्यामसिंह लखावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः–

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2638 ग्राम माधाणियों की ढाणी,पटवार हल्का पीपरीया तहसील खींवसर में स्थित है, अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा, तथा अचानक विगत दिनों अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि उनके खेत खसरा संख्या 2638 में उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश की पालना में खसरा संख्या 2638 के तीन भाग करते हुए खेत के बीचोबीच एक

रास्ता स्वीकृत किया गया, जो नया नम्बर 3184/2638 अंकित किया गया है जबकि मौके पर इस प्रकार कोई रास्ता नहीं है, इस कारण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, मनमाने तरीके से जो आदेश उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को पारित किया गया जिससे अपीलार्थीगण असंतुष्ट एवं व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा तरबीती रेस्पों. की तलबी बन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया बहस हेतु निवदेन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । अपीलान्ट व रेस्पों संख्या 1 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने न तो प्रकरण न्यायिक प्रकृति का होते हुए भी विधिक प्रक्रिया का पालन किया, न ही भू राजस्व अधिनियम के संबधित नियमों का पालना किया,तथा दिनांक 30.06.2021 को अन्य खसरा नम्बरान जो अन्य लोगो से सबंधित है उस बाबत आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2638 में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया विधि विपरीत है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार खींवसर द्वारा एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी खींवसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे न तो विधिपूर्ण तरीके से दर्ज कर नोटिस जारी किये, न ही अन्य कार्यवाही की, सीधे ही दिनांक 30.06.2021 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की भूमि खसरा संख्या 2638 के बीचोबीच रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियमों के प्रावधानो के प्रतिकूल है इस कारण आदेश दिनांक 30.06.2021 खसरा संख्या 2638 की सीमा तक निरस्त किया जाने योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार के जिस परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की आड में समस्त मनमानी की गई है वस्तुतः उक्त परिपत्र जिस उदेश्य तथा जिस मनोदशा के जारी किया गया, वह सार्वजनिक रास्तो से सबंधित है, तथा ऐसे रास्ते जो कदीम से चलते आये जो, जबकि इस बाबत न तो कोई साक्ष्य है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे कि अपीलार्थीगण की खतेदारी की भूमि में कभी कोई रास्ता रहा हो, इतना नहीं उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने तथा उनके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारीयों ने व्यक्तिगत हित कुछ लोगो का होने के कारण समस्त अवैधानिक कार्यवाही की है,तथा विधिक प्रावधानों की न तो समुचित पालना की है,न ही राजस्थान भू –अभिलेख नियम के जिन नियमो का हवाला दिया गया है उन नियमों की कोई पूर्ति हुई है, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2021 खसरा संख्या 2638 की सीमा तक निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थीगण खसरा संख्या 2638 के खातेदार काश्तकार है अपीलार्थीगण की भूमि में बिना सुनवाई का अवसर दिये,बिना पक्षकार के रूप में अंकित किए, मात्र ग्राम पंचायत को पक्षकार अंकित करते हुए उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :–

1. RRT 1984 पृष्ठ संख्या 111 से 118 इन्द्रा बाल विध्या मन्दिर बनाम राजस्थान सरकार

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित रास्ते हेतु नजरी नक्शा के प्रस्ताव रास्ता घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। रास्ता मौके पर बारहमासी चल रहा है। ऋतुओं में भी इन रास्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा कदीमी रास्ता चल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात खेत खसरा नम्बर 2638 किसी खातेदार की भूमि में से बिना उसकी अनुमति के रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान की सहमति से लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई है तथा राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना लिपिकीय त्रुटि भी नहीं है। तहसीलदार को पूर्ववर्ती रास्ते को खुलवाने संबंधी अधिकार प्रदत्त है, उन्हें नये सिरे से रास्ता निकालने का क्षैत्राधिकार नहीं होना तथा सुखाचार बाबत तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बिना मौका स्थिति की जांच किये प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर धारा 136 के तहत रास्ते बाबत आदेश पारित करवाया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादग्रस्त आराजियात के समस्त खातेदारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2021 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 207/2021 राज0 सरकार बनाम ग्राम पंचायत पीपलिया विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण एवं अन्य पडोसी खातेदारान को पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर